न्यायालय सहायक कलेक्टर मुंएव उपखण्ड अधिकारी जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन – जगदीश प्रसाद गुर्जर (RAS)

प्रकरण संख्या 11/2017 प्रा.पत्र

1. जगदीश पिता शंकरजी गर्ग उम्र बालिग जाति गर्ग
2. श्रीमती रमीला पत्नि जगदीश गर्ग उम्र बालिग जाति गर्ग निवासीयान सगतडा तहसील सराडा जिला उदयपुर राज0

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब सराडा जिला उदयपुर (भूमिदारी) राजस्व रेकार्ड में जाति गारो की जगह गर्ग दर्ज कराने बाबत्।

उक्त प्रार्थना पत्र में वादी व प्रातिवादीगण तहसीलदार सराडा ने जवाब पेश किया गया है जो निम्नानुसार है।

प्रार्थी ग्राम सगतडा का मूल निवासी है हम जाति से गर्ग है किन्तु राजस्व रेकार्ड मौझा सगतडा पटवार मण्डल सगतडा तहसील सराडा के खाता सख्या 431–81 संवत् 2065–2068 की जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी जगदीश पिता शंकरजी गर्ग तथा मेरी पत्नि श्रीमती रमीला देवी पत्नि जगदीश जी गर्ग जाति गर्ग की जगह जगदीश पिता शंकरजी गारो एवं श्रीमती रमीला देवी पत्नि जगदीश गारो जाति दर्ज हो गया है जबकि वास्तव मे मैं तथा मेरी पत्नि गारो नही होकर गर्ग है हमारे जाति समाज और गॉव में हम गर्ग नाम से ही जाने जाते है हम गर्ग जाति के होकर ओ.बी.सी. वर्ग में आते है जबकि गारो अनुसूचित जाति में आते है जबकि हम ओ.बी.सी. वर्ग के है मैने तथा मेरी पत्नि ने आज तक अनुसूचित जाति का कही पर उपयोग नही किया है और न ही हमने इस तरह का कोई जाति प्रमाण पत्र ही जारी करवाया है हम जाति से गारो नही होकर गर्ग है इसलिये मैं तथा मेरी पत्नि दोनो जने अपने राजस्व रेकार्ड मौझा सगतडा के खाता संख्या 436–81 में वर्णित कृषि भूमि में हमारे नाम से जाति गारो की जगह गर्ग दर्ज कराना चाहते है।

कि मुझ प्रार्थी तथा मेरी पत्नि के तमाम विभागो के दर्ज दस्तावेजो यथा एस.बी.बी.जे. शाखा सराडा के खाता संख्या 8027/16 की पासबुक जारी दिनांक 19.08.2000 आधार कार्ड संख्या 773731876152 तथा मुझ श्रीमती रमीला के नाम से जारी आधार कार्ड संख्या 227824968193 तथा भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा पॉलिसी जारी दिनांक 20.07.2002 तथा राशन कार्ड संख्या 0078 तथा राशन कार्उ पुराना एवं मुझ प्रार्थी व मेरी पत्नि श्री (प्रमिला (पिंकी) की शादी की

कि हम प्रार्थीगण इस रेकार्ड में गारो की जगह गर्ग दर्ज कराकर हम किसी तरह का कोई गलत कार्य करने के लिए नही करवा रहे है और न ही हम इस तरह का कोई अनुचित मूल्य की मंशा से परिवर्तन करा रहे है हमारे सभी विभागो के दस्तावेजो में जाति गर्ग तथा राजस्व रेकार्ड में गारो होने से हमे काफी परेशानीया होती है तथा हम हमारे सभी वैध सरकारी कार्य नही कर पा रहे है इसलिऐ हम जाति गारो की जगह गर्ग दर्ज कराना चाहते है कि हम ओ.बी.सी. वर्ग मे आते है तथा राजस्व रेकार्ड में अनुसूचित जाति (एस.सी.) दर्ज होने से हमारे समाज में हमारे बच्चो के शादी ब्याह तथा सामाजिक कार्यक्रम मे भी बडी परेशानिया आती है जिससे हम बडे परेशान है इसलिऐ हम हमारी जाति गर्ग कराना चाहते है जिसमे किसी तरह की कोई सत्यता हम नही छिपाकर हमारी जाति गर्ग है जो दर्ज कराना चाहते है कि इस प्रार्थना है मुझ/हम प्रार्थीगण श्री जगदीश तथा श्रीमती रमीला देवी जाति गारो निवासी सगतडा के बजाय राजस्व रेकार्ड में श्री जगदीश तथा श्रीमती रमीला जाति गर्ग निवासी सगतडा करने का आदेश प्रदान करावे ।

उक्त प्रार्थना पत्र में विपक्षी तहसीलदार सराडा द्वारा प्रस्तुत जवाब निम्नानुसार है।

1. यह कि प्रार्थना – पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित तथ्य में खाता संख्या 431–81 के राजस्व रेकार्ड मे श्री जगदीश पिता शंकरजी गारो व श्रीमती रमीलादेवी पत्नि जगदीश गारो अकिंत है जो अनुसूचित जाति में आते है और गर्ग अन्य पिछडा वर्ग में आते है प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रेकार्ड में गारो की जगह गर्ग कराना चाहते है जिससे उसकी जाति अनुसूचित जाति से अन्य पिछडा वर्ग मे आ जायेगी अगर प्रार्थीगण अनुसूचित जाति से अन्य पिछडा वर्ग मे आना चाहते है तो विपक्षी को कोई एतराज नही है।
2. यह कि प्रार्थना – पत्र की कलम संख्या 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है प्रार्थीगण के बैंक खाते आधार कार्ड जीवन बीमा की पॉलिसीया राशन कार्ड तथा उनके शादी के कार्डो मे गर्ग अंकित हो तो उससे विपक्षी को कोई आपत्ति नही है।
3. यह कि प्रार्थना – पत्र की कलम संख्या 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है किन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण की जाति गारो की जगह गर्ग कर दिया जावे तो विपक्षी को कोई आपत्ति नही है।
4. यह कि प्रार्थना –पत्र की कलम संख्या 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है जिनके जाति समाज मे उन्हे गर्ग मानते है या गारो मानते है जो जानकारी विपक्षी को नही है।

यह कि प्रार्थना –पत्र की कलम संख्या 5 कानूनी होने से प्रस्तावित को देखने से स्वीकार है व प्रार्थना कॉलम से विपक्षी को कोई एतराज नही है प्रार्थीगण की जाति गारो से राजस्व रेकार्ड मे गर्ग किया जाता है तो इससे सरकार के हितो पर कोई विपरित प्रमान नही पडता है । औ न ही गारो की जगह गर्ग दर्ज करने से विपक्षी को कोई जाति विशेष के सरकारी सुविधाये पृथक से प्राप्त नही होगी।

अतः एवं जवाब मे प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय उचित मानते हुए स्वीकार कर देती है तो विपक्षी को कोई आपत्ति नही है। हमारे द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मे पेश दस्तावेजो व तहसीलदार सराडा के जवाब पर ब्यान पूर्वक मनन, अवलोकन किया गया अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

श्री जगदीश पिता शंकरजी गारो व श्रीमती रमीला देवी पत्नि जगदीश गारो अंकित है जो गारो की जगह गर्ग अंकित किया जावे । तहसीलदार सराडा को पालना हेतु अलग से लिखा जाकर तहसीलदार निर्देशित किया जाता है राजस्व रेकार्ड मे गारो की जगह गर्ग अमल दरामद किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर
सराडा जिला उदयपुर

उपरोक्त निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर द्वारा आज दिनांक 08.09.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर
सराडा जिला उदयपुर